

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(0)परावि/प्रशा.2/सहा.अभि./स्थाना.पद./19/3172 जयपुर, दिनांक.-29.9.19


आदेश

निम्न लिखित सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	पद	कहाँ से	कहाँ को	विशेष विवरण
1.	श्रीमती अनुश्री शर्मा	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति पावटा, जिला जयपुर	सहायक अभियन्ता (सी.डी.) जिला परिषद जयपुर	रिक्त पद पर
2.	श्री संजय कुमार हंस	सहायक अभियन्ता	पंचायत समिति बावडी, जोधपुर से पंचायत समिति मारवाडजंक्शन, पाली स्थानान्तरणधीन	निरस्त कर पंचायत समिति बावडी, जोधपुर	यथावत

उपरोक्त अभियन्ता तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर संबंधित विकास अधिकारी के माध्यम से सूचना भिजवायेंगे। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(सुनील शर्मा) 29/9/2019

संयुक्त शासन सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. जिला कलेक्टर, संबंधित।
5. अति/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संबंधित।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित अभियन्ता को पालनार्थ।
9. निजी/आरक्षी पत्रावली।


29/9/2019
संयुक्त शासन सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त